## न्यूज ब्रीफ

### रीवा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन 2-2 ट्रिप रहेगी रद्द

**भोपाल।** पश्चिम मध्य रेलवे से प्रारंभ और टर्मिनेट होने वाली रीवा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी)-रीवा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को 2-2 ट्रिप निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या 02185 रीवा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन प्रारम्भिक स्टेशन रीवा से 8 एवं 15 सितंबर को जबकि 02186 सीएसएमटी-रीवा स्पेशल ट्रेन प्रारम्भिक स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 9 एवं 16 सितंबर को निरस्त रहेगी।

### नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 को

**भोपाल।** मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम जनता को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 सितंबर को जिला न्यायालय, भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे पारिवारिक विवाद, जमीन से जुड़े विवाद, चेक बाउंस, और अन्य विधिक मामलों का समाधान आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।

### त्योहारों के मद्देनजर 10 बदमाश जिलाबदर

**भोपाल।** त्योहारों के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायालय पुलिस आयुक्त भोपाल ने शहर के 10 आदतन गुंडे, बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के आदेश जारी किए हैं। इनमें बैरागढ़ निवासी उमंग जायसवाल, विकास कसौले, कोटरा निवासी सचिन उर्फ मच्छी मालवीय, योगेश गौहर आदि शामिल हैं। इन बदमाशों पर विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, नकबजनी, लूट आदि के मामले दर्ज हैं।

### स्वास्थ्य शिविर में मोटापे के बारे में दी जानकारी

**भोपाल।** बीएमएचआरसी के गिन्नौरी स्थित स्वास्थ्य केंद्र क्रमांक-5 में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान की प्रभारी निदेशक डॉ. मनीषा श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थीं। इस दौरान गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग में विजिटिंग कंसल्टेंट डॉ. सारांश जैन ने मोटापे से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। शिविर में 92 मरीजों को पंजीकृत किया गया, जिनकी बीएमआई जांच कराई गई।

### झांकी-पंडाल में अस्थाई कनेक्शन जरूर लें

**भोपाल।** गणेशोत्सव सहित अन्य त्योहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उचित प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों से अपील की है कि पंडालों एवं झांकियों में साज-सज्जा अस्थाई कनेक्शन लेकर करें। बिजली कंपनी के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं।

## राजधानी और उसके आसपास बिना नियम कायदे के संचालित हो रहे स्विमिंग पूल

# 600 से ज्यादा फार्म हाउसों में स्विमिंग पूल, इनमें न सुरक्षा जालियां हैं न सिक्योरिटी गार्ड

शाहिद खान • भोपाल
मो.नं. 9300697983

पीपुल्स समाचार विशेष

करीब चार महीने पहले लालघाटी स्थित स्वागत मैरिज गार्डन में बने स्विमिंग पूल में डूबकर चार साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद नगर निगम ने आनन-फानन में निगम सीमा में आने वाले ऐसे 100 से ज्यादा मैरिज गार्डन, रिसॉर्ट चिह्नित किए थे, जहां बगैर परमिशन स्विमिंग पूल संचालित किए जा रहे थे। सबसे ज्यादा पूल रातीबड़ और खजूरी रोड यानी इंदौर रोड पर संचालित होना पाए गए। निगम ने इन्हें नोटिस भेजकर कर्तव्य की इतिश्री कर ली।

अब इसी तरह की दूसरी घटना खजूरी सड़क इलाके में हो गई। यहां एक फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में डूबकर रविवार को 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल, भोपाल और उसके आसपास 600 से ज्यादा फार्म हाउस हैं, जहां नियमों को ताक पर रखकर स्विमिंग पूल संचालित हो रहे हैं। इनमें सुरक्षा के लिए न तो जालियां हैं औ न ही सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। इन फॉर्म हाउसों में मैरिज गार्डन की तरह शादियां होती हैं, जिनमें काफी संख्या में बच्चे भी शामिल होते हैं। ऐसे में हादसे की संभावना बनी रहती है।

**स्विमिंग पूल वाले फार्म हॉउस की सबसे ज्यादा डिमांड :** नियमानुसार खेती की जमीन पर बनाया जाने वाला फार्म हाउस निजी इस्तेमाल के लिए होता है। इसे शादियों व अन्य कार्यक्रमों के लिए किराए पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन इन्हें शादियों के लिए किराए पर दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं फार्म हाउस की है, जहां स्विमिंग पूल हैं। इसलिए लगभग सभी फार्म हाउसों में पूल बनाए गए हैं।

**न जुर्माना और न ही कार्रवाई:** बैरागढ़ में हुए हादसे के बाद निगम ने पूल के लिए कुछ नियम बनाए थे। कहा गया था कि नियमों का पालन नहीं करने पर 5000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। नियम बनाकर अधिकारी भूल गए। न तो ऐसे स्विमिंग पूलों पर कोई कार्रवाई हुई और न ही जुर्माना लगाया गया।

हलालपुर स्थित स्वागत मैरिज गार्डन का स्विमिंग पूल, जिसमें करीब चार माह पहले डूबने से बच्चे की मौत हो गई थी।

### हादसे से सबक नहीं: स्विमिंग पूल के गेट को रस्सी से बांधकर गमला रख दिया

हलालपुर स्थित स्वागत मैरिज गार्डन में बीते 4 मई को एक शादी समारोह के दौरान स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत हो गई थी। उज्जैन का यह 4 साल का बच्चा कामिल परिजनों के साथ शादी समारोह में शामिल होने आया था। वह 5 साल की मौसेरी बहन के साथ स्विमिंग पूल की ओर चला गया था। दोनों पूल में बेहोशी की हालत में मिले थे। अस्पताल में बच्चे कामिल की मौत हो गई थी। हादसे के बाद भी मैरिज गार्डन संचालकों ने पूल बंद नहीं किया। गेट को रस्सी से बांध कर वहां गमला रख दिया है।

### नोटिस दिए गए हैं

कई फार्म हाउस और मैरिज गार्डन की शिकायतें मिली हैं, जिनमें बगैर अनुमति के स्विमिंग पूल संचालित हो रहे हैं। 100 से ज्यादा संस्थान चिह्नित कर इन्हें नोटिस भेजे जा चुके हैं। कार्रवाई की जा रही है।

**-अनूप गोयल,** प्रभारी सिटी प्लानर, नगर निगम

### पूल के लिए ये जरूरी

- **बच्चों के लिए :** इस कैटेगरी में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के पूल होते हैं। ये न तो 40 सेमी से ज्यादा गहरे और न 10फीसदी से ज्यादा झुकाव वाले होने चाहिए।
- **सीढ़ियां:** पूल की सीढ़ियां, परिधि के हर 25 मीटर या परिधि के भाग पर होनी चाहिए। सीढ़ियां स्टेनलेस स्टील की हों, ताकि आसानी से साफ हो सकें।
- **डेक :** ताल के आसपास के क्षेत्र को डेक (छत) कहा जाता है। ये एक मीटर चौड़ा हो और ऐसी सामग्री से बने, ताकि फिसलन न हो। कीचड़ को पूल में और पानी को बाहर आने से रोक सके।
- **लाइफ सेफ्टी बॉय :** सार्वजनिक पूल में उतने ही सेफ्टी बॉय होने चाहिए, जितनी सीढ़ियां हों।
- **ताल का संरक्षण :** जब पूल का इस्तेमाल न हो, तो रात या ऑफ सीजन में ताला बंद करने के लिए बाड़ा लगाना होगा। इस बाड़े की ऊंचाई कम से कम 1.2 मीटर होनी चाहिए। सेल्फ लॉकिंग गेट भी होना चाहिए।

## पैसों के विवाद में नौकर ने मालिक पर किया चाकू से हमला

**भोपाल।** छोला मंदिर थाना क्षेत्र स्थित लीलाधर कॉलोनी में रविवार शाम रेस्टोरेंट संचालक के नौकर ने उनके गले पर चाकू से हमला कर दिया। हालत गंभीर है। घटना के बाद से आरोपी फरार है।

पुलिस के मुताबिक, करोंद निवासी विशाल यादव (38) रासलाखेड़ी स्थित विशाल रेस्टोरेंट के संचालक हैं। वह बड़े भाई धर्मेन्द्र यादव के साथ मिलकर रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनके यहां कमलेश कुशवाह नाम का कर्मचारी काम करता था। उसने उनसे कुछ रुपए उधार लिए थे। इसके बाद से काम पर आना बंद कर दिया। रविवार शाम विशाल और धर्मेन्द्र उसका हालचाल जानने लीलाधर कॉलोनी स्थित उसके घर गए थे। धर्मेन्द्र ने उससे पूछा कि काम पर क्यों नहीं आ रहे हो। नहीं आना है, तो एडवांस पैसा लौटा दो। इसको लेकर विवाद हो गया। इस पर कमलेश घर के अंदर गया और चाकू लाकर धर्मेन्द्र पर हमला कर दिया। चाकू का एक वार तो उन्होंने अपने हाथ से रोक लिया, लेकिन दूसरा वार गले पर लगा। इसके बाद कमलेश फरार हो गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है।

## एम्स के नर्सिंग छात्रों को सॉफ्ट स्किल्स का दिया प्रशिक्षण

**भोपाल।** एम्स, भोपाल के एमएससी नर्सिंग के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए सोमवार को मानवीय शैक्षिक प्रशिक्षण में सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों को आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स से अवगत कराना था ताकि वे मरीजों से भावनात्मक रूप से जुड़ सकें।

संस्थान के कार्यपालक निदेशक डॉ. अजय सिंह ने कहा कि सॉफ्ट स्किल्स नर्सिंग स्टाफ के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्लिनिकल विशेषज्ञता के साथ प्रभावी रोगी देखभाल में योगदान देती है। इन कौशलों में संचार, सहानुभूति, टीमवर्क और समस्या-समाधान शामिल है, जो रोगियों और उनके परिवारों के साथ सामंजस्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## चाणक्यपुरी में बिजली केबल में ब्लास्ट, अंधेरे में रहे लोग

### दूसरे दिन सोमवार को बहाल हो सकी बिजली

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9300697983

अयोध्या नगर स्थित चाणक्यपुरी कॉलोनी में रविवार रात बिजली केबल में ब्लास्ट हो गया। बिजली खंबे से करीब 20 मिनट तक तेज आवाज के साथ चिंगारी निकलती रही। इससे रहवासियों में दहशत फैल गई। मेंटनेंस करने पहुंचा अमला केबल न होने के कारण वापस लौट गया। रातभर लोगों ने अंधेरे में गुजारी। सोमवार को दोपहर 3 बजे के बाद बिजली सप्लाई शुरू हो सकी।

जानकारी के अनुसार, मिनाल के गेट नंबर-1 के पास चाणक्यपुरी कॉलोनी है। यहां करीब 300 परिवार रहते हैं। रहवासियों ने बताया कि रविवार रात 10.30 बजे कॉलोनी में लगे एक बिजली खंभे की लाइन से धमाके के साथ चिन्गारी निकलने लगी। करीब 15 से 20 मिनट तक लगातार धमाके होते रहे। तेज आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग वहां इकट्ठा हो गए। इस पोल के पास ही मकान हैं। वहीं, नीचे कार और बाइक खड़ी थीं, जो कि बाल-बाल बच गईं। सूचना पर लाइनमैन मेंटनेंस के लिए पहुंचे, लेकिन उनके पास बदलने के लिए केबल्स नहीं थी। अमला खाली हाथ लौट आया। सोमवार को अमले ने मरम्मत की। दोपहर बाद बिजली सप्लाई शुरू हो सकी।

## पति से विवाद के बाद नवविवाहिता ने कर ली आत्महत्या

**भोपाल।** अरेरा हिल्स थानांतर्गत यादव मोहल्ला, अहीरपुरा में रविवार शाम नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला नवविवाहिता से जुड़ा होने के कारण जांच एसीपी करेंगे।

पुलिस के मुताबिक, आनंद नगर निवासी मुस्कान साहू (23) की शादी 14 माह पूर्व कोलार में रहने वाले कुनाल अहीरे से हुई थी। कुनाल बंगले पर साफ-सफाई का काम करता है। उसने पुलिस को बताया कि मुस्कान उसके चरित्र पर संदेह करती थी। उसके मोबाइल पर किसी परिचित युवती का कॉल आता, तो विवाद करने लगती थी। रविवार को भी दोनों के बीच इसी बात पर विवाद हुआ। इसके बाद गुस्से में वह घर से चला गया। कुछ देर बाद लौटा, तो मुस्कान फांसी लगा चुकी थी।

## दिव्यांग को गोद में लेकर निगम आयुक्त के केबिन में पहुंचे कांग्रेस नेता, मांगा न्याय

### निगम अमले ने हटा दी थी गुमठी, केस भी दर्ज करा दिया था

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9300697983

कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला सोमवार को आईएसबीटी स्थित नगर निगम कार्यालय में पहुंच गए। वह गोद में एक दिव्यांग को लिए हुए थे। वह सीधे निगम आयुक्त के केबिन में पहुंचे और दिव्यांग को उनकी टेबल पर खड़ा कर दिया।

शुक्ला ने आयुक्त हरेंद्र नारायण को बताया कि निगम अमले ने दिव्यांग उमाशंकर नन्हेंटे से अपराधियों जैसा बर्ताव किया। उसकी गुमठी उठा ली और केस दर्ज करवा दिया। आयुक्त ने मामले की जांच का आदेश दिया है। वार्ड-58 स्थित गौतम नगर निवासी दिव्यांग नन्हेंटे की फास्ट फूड की गुमठी हाल ही में प्रभारी अतिक्रमण अधिकारी शैलेंद्र सिंह भदौरिया ने उठवा ली थी। दिव्यांग ने विरोध किया, तो गोविंदपुरा थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने उसे थाने से जमानत नहीं दी, जिसके बाद अदालत से जमानत मिली। उन्होंने उसका सामान लौटाकर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की।

दिव्यांग को गोद में लेकर निगम आयुक्त के केबिन में पहुंचे कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला।

## पत्नी से फोन पर लंबी बात करता था दोस्त, इसलिए कर दी थी हत्या

### बिलखिरिया पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
editor@peoplessamachar.co.in

बिलखिरिया पुलिस ने 24-25 अगस्त की दरमियानी रात हुई युवक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। आरोपी ने पत्नी से फोन पर बात करने से नाराज होकर पहले उसे शराब पिलाई और फिर गला रेतकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने बताया कि 26 अगस्त को आरटीओ के पास झाड़ियों से छावनी पठार निवासी सुप्यार शिल्पी उर्फ छोटू का शव बरामद किया गया था। उसका मोबाइल फोन गायब था। मोबाइल की कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आखिरी बार छोटू को अपने दोस्त रामबाबू के साथ देखा गया था। घटना के बाद से रामबाबू भी गायब था। पुलिस ने रविवार को मूलतः रायसेन निवासी रामबाबू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपराध कबूल कर लिया।

**पत्नी से बात न करने की दी थी हिदायत :** आरोपी ने पूछताछ में बताया कि छोटू उसकी पत्नी से फोन पर लंबी बात करता था। समझाने पर भी नहीं मान रहा था। 24 अगस्त को वह उसे शराब पिलाने के बहाने ले गया और नशा अधिक होने पर हत्या कर दी। आरोपी ने छोटू का मोबाइल फोन रायसेन बायपास रोड पर फेंक दिया, जो बरामद हो गया है।

## कलेक्टर ने पूछा-कितनी सड़कें सुधारी गईं, पीडब्ल्यूडी ने कहा-गड्ढे भरे जा रहे हैं, निगम अफसर रहीं खामोश

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9425018933

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने टाइम लिमिट की बैठक में सोमवार को बारिश से खराब हुई शहर की सड़कों के मेंटेनेंस को लेकर चर्चा की। उन्होंने निर्माण एजेंसियों से पूछा कि अब तक कितनी सड़कें सुधारी गईं। इस पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा कि सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं। नगर निगम की सड़कों के बारे में पूछा तो अपर आयुक्त टीना यादव कोई जवाब नहीं दे सकीं।

कलेक्टर ने दोनों एजेंसियों से कहा कि जर्जर सड़कें कैसे और कब सुधारेंगे, इसका जल्द प्लान बनाकर दें। ज्ञात हो कि 4 सितंबर को प्रस्तावित प्रभारी मंत्री की बैठक में सड़क का एजेंडा प्रमुख है। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने राजस्व महाअभियान खत्म होने के बाद सभी अफसरों को सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण पर फोकस करने को कहा। एडीएम अंकुर मेश्राम ने अफसरों से कहा कि लेबल स्तर पर ही अधिकारी शिकायतों के संबंध में आवेदक से स्वयं चर्चा कर संतुष्टिपूर्ण निराकरण करें।

टाइम लिमिट की बैठक में अफसरों से चर्चा करते कलेक्टर।

### इस पर भी हुई चर्चा

- धारणाधिकार के पेंडिंग मामलों को निकालकर निराकरण करें।
- भिक्षावृति अभियान के दौरान जो हितग्राही मिले हैं, उनकी व्यवस्था सामाजिक न्याय विभाग करे।

### मेट्रो के कार्य के लिए बिजली उपलब्ध कराएं

कलेक्टर ने मेट्रो ट्रेन के निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने संबंधित एसडीएम से कहा कि कई जगह पर मेट्रो का कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण एजेंसी को बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बिजली कंपनी से समन्वय बनाकर कनेक्शन दिलाने के निर्देश दिए। वहीं मेट्रो के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण हटाने के लिए कहा।

## पिता ने कहा-मानसिक रोगी नहीं है उसकी मासूम बेटी का कातिल

**भोपाल।** जहांगीराबाद में रविवार को एक युवक ने अपनी तीन साल की भांजी की गला रेतकर हत्या कर दी थी। उसके परिजन का कहना है कि वह मानसिक रूप से कमजोर है। इधर, मृत बच्ची के पिता और आरोपी के जीजा का कहना कि वह बीएससी की पढ़ाई पूरी कर चुका है और उसकी मानसिक हालत ठीक है। उसने मुझसे रंजिश के चलते बेटी को मार डाला। ज्ञात हो कि मुर्गी बाजार निवासी मुईनुद्दीन सिद्दीकी की तीन साल की बेटी रूमेशा नानी के घर आमवाली मस्जिद के पास आई थी। यहां मामू फराज ने उसकी हत्या कर दी थी। इधर, जांच में पुलिस को भी उसके मनोरोगी होने के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।


**OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, BHOPAL**

N.I.T. No.437/ES/BMC/2024 — SECTION- I : NOTICE INVITING e-TENDER : — Dated, 29.08.2024

Online percentage / item rate bids for the following works are invited from registered contractors and firms of repute fulfilling registration criteria:

| S. No. | Tender ID | Name of work | Probable Amount of Contract (Rs. in Lakh) | Earnest Money Deposit (EMD) (In Rs.) | Cost of Bid Document (In Rs.) | Period of Completion (In Months) | SOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024_UAD_366546_1 | CONSTRUCTION OF BOUENDRY NEAR WALL HANUMAN MANDIR BDA ROAD AT DEEP NAGAR WARD 60 ZONE 14 | 222655/- | 2227/- | 2000 | 02 Months | MPUADD ISSR 2021 |
| 2 | 2024_UAD_366537_1 | CONST.OF SHED AND PAVER BLOCK INFORNT OF H.NO. 2/33 AT B.D.A.COLONY W-60 Z-14 | 162951/- | 3259/- | 1000 | 01 Months | MPUADD ISSR 2021 |
| 3 | 2024_UAD_366477_1 | CONSTRUCTION OF C.C ROAD WORK INFRONT OF H. NO 20 AT SAI NAGAR WARD 60 ZONE 14 | 525520/- | 5255/- | 2000 | 02 Months | MPUADD ISSR 2021 |
| 4 | 2024_UAD_366452_1 | CONSTRUCTION OF C.C ROAD WORK NEAR H.NO 97 TO 167 B AT PRAGATI NAGAR B SECTOR WARD 60 ZONE 14 | 418365/- | 4148/- | 2000 | 02 Months | MPUADD ISSR 2021 |
| 5 | 2024_UAD_366416_1 | CONSTRUCTION OF C.C ROAD WORK NEAR H.NO 19 RAGHUVEER HOUSE TO MAIN ROAD SHIV SANGAM NAGAR STREET-I AWADHPURI WARD 60 ZONE 14 | 1004076/- | 10041/- | 2000 | 03 Months | MPUADD ISSR 2021 |
| 6 | 2024_UAD_366452_1 | CONST. OF C.C ROAD FROM VEERU LAHORI TO MAIN GATE AT LAKSHYA HOMES W-60 Z-14 | 669384/- | 6694/- | 2000 | 02 Months | MPUADD ISSR 2021 |

1. Interested bidders can view the NIT on website **https://www.mptenders.gov.in/**
2. Amendments to NIT, if any, would be published on website https://www.mptenders.gov.in/ only, and not in newspaper.

T.No.395/024/025

Assistant Engineer
Municipal Corporation, Bhopal



OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

**ओमकारा एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.**

CIN: U67100TZ2014PTC020363 कार्पोरेट कार्यालय : कोहिनूर स्क्वेयर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम) मुंबई 400028 Email: rajesh.jumani@omkaraarc.com/zuber.khan@omkaraarc.com
Tel.: 022-69231111 अधिकृत ऑफिसर - M no.: +91 8657969231

[परिशिष्ट - IV-A] [नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) का परंतुक देखें]

**अचल संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना**

**वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना**

**सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) के प्रावधान के साथ पढ़ें।**

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को यह सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी रखी गई है, जिसका कब्जा ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (OARPL) के प्राधिकृत अधिकारी के पास है। इसके अलावा, OARPL (ओमकारा PS 06/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (असाइनर बैंक) से दिनांक 25.06.2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से नीचे दिए गए संपूर्ण बकाया ऋणों को असाइनर बैंक से अंतर्निहित सुरक्षा के साथ प्राप्त कर लिया है। तदनुसार, OARPL ने बकाया राशि वसूलने और सुरक्षा को लागू करने के लिए असाइनर बैंक और ईएम की जगह ली है। OARPL के प्राधिकृत अधिकारी ने उधारकर्ता/बंधककर्ता/सह-उधारकर्ता से नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लिया। एतद्द्वारा प्राधिकृत अधिकारी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों को बेचने का इरादा रखता है और इसलिए सुरक्षित संपत्तियों की खरीद के लिए निविदाएं/बोलियां सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं। संपत्ति को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) और (4) के प्रावधानों के तहत अधिकारों और शक्तियों के आधार पर बेचा जाएगा; "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", और "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के" संबंधित ऋणी और सह-ऋणी(ओं) से सुरक्षित ऋणदाता के रूप में OARPL को देय राशि की वसूली के लिए संबंधित कॉलम में दिखाया गया है। ऋणी(ओं)/गारंटर/बंधक, प्रतिभूतियाँ, मालिक, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए नोटिस की तिथि, कब्जे की तिथि, आरक्षित मूल्य, बोली वृद्धि राशि, बयाना राशि जमा (EMD), निरीक्षण की तिथि और समय का विवरण निम्नानुसार दिया गया है :

| स.क्र. | ऋणकर्ता (ओं)/ जमानतदार/मार्टगेजर | सुरक्षित संपत्ति का विवरण | संपति का मालिक | 15.05.2024 तक बकाया राशि (रु. में) | मांग पत्र दिनांक | कब्जा दिनांक | आरक्षित मूल्य (रु. में) | बिड वृद्धि राशि (रु. मे) | ईएमडी (रु. में) | निरीक्षण दिनांक एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | नारायणदास एंड संस (उधारकर्ता) प्रोप: अर्जुनदास संगतानी, अर्जुनदास संगतानी (मालिक, गारंटर और बंधककर्ता), अनीता ए संगतानी (गारंटर और बंधककर्ता) और गोविंद ए संगतानी (गारंटर) | प्लॉट नं. 46 सहित मकान का वह पूरा टुकड़ा। ब्राइट कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.), भूमि जिसका माप 20×50 कुल 1000 वर्ग फीट (बिक्री विलेख के अनुसार) है और उस पर मौजूदा और भविष्य का निर्माण तथा निम्नानुसार सीमाएं: पूर्व: प्लॉट नं. 62 और 63 पश्चिम: सड़क उत्तर: प्लॉट नं. 45 दक्षिण: मकान नं. 46-47ए। | अर्जुनदास संगतानी, और अनिता ए संगतानी | रु. 93,30,610/- (रुपये तिरानबे लाख तीस हजार छह सौ दस मात्र) | 09-08-2022 | 28.06.2024 (भौतिक) | रु. 60,00,000/- (केवल साठ लाख रुपये) | रु. 25,000/- | रु. 6,00,000/- (रुपये छह लाख मात्र) | 26-09-2024 सुबह 11:00 से दोपहर 01:00 तक (पूर्व नियुक्ति के अनुसार) |

खाता संख्या: 344905001084, लाभार्थी का नाम: ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट, बैंक का नाम: आईसीआईसीआई बैंक, शाखा: बांद्रा (ई) मुंबई, आईएफएससी कोड: आईसीआईसी0003449

ई-नीलामी की तारीख और समय- 10/10/2024 12:00 से 02:00 बजे तक | भागीदारी का बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 08/10/2024 शाम 6:00 बजे तक

नीलामी के नियम और शर्तें: बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता (ओएआरपीएल) http://omkaraarc.com/auction.php या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://wwwBankeauctions.com पर दिए गए लिंक को देखें।

**सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) के तहत बिक्री के लिए वैधानिक सूचना**

यह नोटिस सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) के तहत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता को कम से कम 30 (तीस) दिनों का एक अनिवार्य नोटिस है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत उन्हें उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि और समय पर ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री आयोजित करने के बारे में सूचित किया गया है। भुगतान में चूक के मामले में, संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के विवेक पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी माध्यम से बेची जाएगी।

दिनांक : 03.09.2024
स्थान : भोपाल

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)